झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

रिट याचिका (एस) संख्या 6254/2022

मो. सम्समुल हक .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

1. द्वारा भारत संघ डाकघरों के महानिदेशक, भारत सरकार, डाक विभाग, नई दिल्ली-110001

2. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, झारखंड सर्कल रांची, जिला-रांची।

3. डाक सेवा निदेशक, झारखंड सर्कल, जिला-रांची।

4. डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक, जिला-दुमका।

5. डाक सेवाओं के उप-मंडल निरीक्षक, जामताड़ा, जिला-जामताड़ा

6. सचिव, झारखंड विद्या परिषद् झारखंड, रांची, जिला-रांची

.... **प्रतिवादी**

कोरम: माननीय श्री न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण कुमार राय

याचिकाकर्ता के लिएः श्री निरंजन कुमार,

भारत संघ के लिए: अधिवक्ताः श्री अनिल कुमार, एडिशनल अधिवक्ता एस. जी. आई.

श्री रवि प्रकाश अधिवक्ता

जे. ए. सी. के लिए: सुश्री ऋचा संचिता, अधिवक्ता

15/तारीख:16.04.2024

सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया०

1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है, जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रांची में पटना सर्किट पीठ द्वारा ओ. ए. में पारित आदेश, जिसके द्वारा मूल आवेदन में की गई प्रार्थना को इस आधार पर विलंब माफी आवेदन को खारिज करके स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है कि न्यायाधिकरण से लगभग 8 साल के अंतराल के बाद संपर्क किया गया है।

2. रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन कुमार ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष एक विस्तृत कारण समझाया गया था जिसमें देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण बताया गया था।

3. यह आधार लिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति के बाद, उन्हें आदेश दिनांकित 13.03.2013 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था

4. याचिकाकर्ता, उक्त आदेश से व्यथित होकर, 2013 (आर) का ओ. ए. संख्या.175 मूल आवेदन दायर करके विद्वत न्यायाधिकरण से संपर्क किया है, जिसका निपटान दिनांक 16.05.2014 के आदेश के माध्यम से किया गया था, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित समाप्ति के आदेश को प्रतिवादी को निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया था कि वह उसे 'पंजानिया' के रूप में जारी रखने की अनुमति दे।

5. रिट याचिकाकर्ता ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए दिनांक 16.05.2014 के आदेश के संदर्भ में अभ्यावेदन किया है।

6. प्रतिवादी ने 25.06.2014 पर इस संबंध में जारी आदेश दिनांकित 16.05.2014 के द्वारा आदेश के अनुसरण में आवेदक को बहाल कर दिया था।लेकिन, एक साल के बाद, प्रतिवादी ने रिट याचिकाकर्ता से पूछा कि उसकी नियुक्ति क्यों नहीं रद्द की जाए, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा पर अनियमित पाई गई है।

7. प्रतिवादी द्वारा यह आधार लिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता का अनंतिम चयन मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित था, जिसे उन्होंने वर्ष 2010 की वार्षिक

माध्यमिक परीक्षा के जे. ए. सी. से जारी किया है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता की जन्म तिथि '03.10.1990' दिखाई गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि '03.10.1972' है और इसलिए, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ तथ्य को दबाने का आरोप लगाया गया था।

8. रिट याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था, जिसका विधिवत जवाब दिनांक 14.10.2014 के जवाब के माध्यम से दिया गया था, लेकिन, प्रतिवादी ने फिर से याचिकाकर्ता को दिनांक 04.12.2014 के आदेश के माध्यम से सेवा से समाप्त कर दिया था।

9. इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010 में अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए जे. ए. सी. से संपर्क किया है, लेकिन जे. ए. सी. द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष 2019 की डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या.5665 के रूप में एक रिट याचिका दायर की गई थी। हालाँकि, रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, जे. ए. सी. ने अक्टूबर, 2020 के महीने में आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र की सही तिथि जारी की है, जो लॉकडाउन की अवधि थी।

10. जन्म परीक्षा पंजीकरण पर्ची, अंक पत्र, प्रवेश पत्र, अनंतिम प्रमाण पत्र की सही तिथि की प्रति आवेदक/याचिकाकर्ता को अक्टूबर, 2020 के महीने में प्रदान की गई है।

11. इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने कहा है कि जे. ए. सी. से सही दस्तावेज की प्राप्ति पर, रिट याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा में बहाली के लिए संबंधित प्रतिवादी के समक्ष 06.11.2020,11.02.2021 और 28.02.2022 पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे रिट याचिकाकर्ता को न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया और तदनुसार, मूल आवेदन प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की खंड 21 के प्रावधान के तहत विलंब माफी आवेदन के साथ दायर किया गया था, जिसे सी. ए. टी. प्रक्रिया नियम, 1987 के नियम 8 (4) के साथ पढ़ा गया था।

12. रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विद्वत न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की सराहना नहीं की है कि न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं करने का जो भी कारण था, वह उसके नियंत्रण से बाहर था, क्योंकि जे. ए. सी. द्वारा जारी की जाने वाली सही जन्म

तिथि की अनुपस्थिति में, कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होता, भले ही आवेदक विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होता। इसके अलावा, कुछ समय से लंबित रिट याचिका के आधार के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगाने को भी देरी को माफ करने के आधार के रूप में लिया गया था।

13. लेकिन, विद्वत न्यायाधिकरण ने इन सभी कारणों को केवल इस तथ्य पर ध्यान देंकर देरी को माफ करने के लिए आश्वस्त नहीं माना है कि देरी दिनों या महीनों की नहीं बल्कि लगभग 8 वर्षों की है।

14. यह तर्क दिया गया है कि दिनों या महीनों या वर्षों की परवाह किए बिना देरी, पर्याप्त कारण पर निर्भर करती है जिसे संबंधित वादकारी द्वारा इसके विचार के लिए दिखाया जाना आवश्यक है।

15. यदि संबंधित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि देरी को माफ करने के लिए जो कारण दिखाया गया है वह पर्याप्त है, तो देरी की अवधि के बावजूद, मूल आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए।

16. लेकिन, उपरोक्त पैरामीटर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश त्रुटि से ग्रस्त है सीमा के आधार पर मूल आवेदन को खारिज करने तक, रिट याचिकाकर्ता के मामले की योग्यता के आधार पर मुद्दा ही अनिर्णीत रहा है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और चोट लगी है, जिसे भविष्य में ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आने वाले सभी समय में।

17. श्री अनिल कुमार, विद्वान एडिशनल एस. जी. आई श्री रवि प्रकाश की सहायता से, भारत संघ के लिए -प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का बचाव किया है।

18. इसका प्रतिवाद प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की खंड 21 (1) के प्रावधान का उल्लेख करते हुए किया गया है, जिसमें मूल आवेदन दाखिल करने की अवधि प्रदान की गई है जो आदेश की तारीख से एक वर्ष है।

19. हालाँकि, विद्वत न्यायाधिकरण को खंड 21 (2) के तहत उपरोक्त प्रावधान के तहत शक्ति भी प्रदान की गई है कि यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाएगा तो न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है।

20. इसमें, विद्वत न्यायाधिकरण, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विलंब 8 वर्ष का है और इसलिए, यदि विलंब माफी आवेदन खारिज कर दिया गया है, तो इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

21. इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विवादित आदेश में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा आदेश किए गए निष्कर्ष पर गौर किया है।

22. इस न्यायालय को, विवादित आदेश की वैधता और औचित्य पर विचार करने से पहले, इसमें उस विचार को संदर्भित करने की आवश्यकता है जो देरी को माफ करने के मामले में किया जाना है, जैसा कि ***बृजेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2014) 11 एस. सी. सी. 351*** के मामले में माननीय सर्वोच्च द्वारा तय किया गया है

23. प्रिवी काउंसिल ने ***सामान्य दुर्घटना अग्नि एवं जीवन बीमा निगम में लिमिटेड बनाम जनमहम्मद अब्दुल रहीम, (1939-40) 67 आइ ए 416,***

टैगोर लॉ लेक्चरर्स, 1932 में श्री मित्रा के लेखन पर भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया है किः

"सीमा और प्रिस्क्रिप्शन का कानून किसी विशेष मामले में कठोर और अन्यायपूर्ण रूप से काम करता प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि कानून एक सीमा का प्रावधान करता है, तो इसे पर भी लागू किया जाना है। न्यायाधीश के रूप में किसी विशेष पक्ष के लिए कठिनाई का जोखिम, न्यायसंगत आधारों पर, कानून द्वारा अनुमत समय को बढ़ा नहीं सकता है, इसके संचालन को स्थगित नहीं कर सकता है, या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अपवादों को लागू नहीं कर सकता है।"

24. ***पी. के. रामचंद्रन बनाम केरल राज्य, (1997) 7 एस. सी. सी. 556,*** शीर्ष न्यायालय ने 565 दिनों की देरी को माफ करने के मामले पर विचार करते हुए, जिसमें देरी को माफ करने के लिए बहुत कम उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, अनुच्छेद-6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"6. सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू करना पड़ता है जब अधिनियम इस तरह निर्धारित करता है और अदालतों के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं होती है।"

25. इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, यह अदालत ***ईशा में भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी (2013) 12 एस. सी. सी. 649,***

जिसमें, इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

"21.5 (v) विलंब की क्षमा की मांग करने वाले पक्ष के लिए प्रामाणिक विश्वास की कमी एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है। 21.7.(vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा को तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित करना होगा और इसे पूरी तरह से मुक्त खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21.9 (ix) किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।यह इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि अदालतों को दोनों पक्षों के संबंध में न्यायाधीश के संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

22.4.(घ) विलंब को एक गैर-गंभीर मामले के रूप में समझने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को गैर-लापरवाह तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मापदंडों के भीतर नियंत्रित करने की आवश्यकता है।"

26. यह कानून की तय स्थिति है कि जब कोई वादकारी 6 के साथ कार्य नहीं करता है प्रामाणिक उद्देश्य और साथ ही, अपनी ओर से निष्क्रियता और अड़चनों के कारण, अपील दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है, ऐसे प्रामाणिक अभाव और घोर निष्क्रियता और लापरवाही महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें देरी की माफी के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

27. ***रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल बनाम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, (1962) 2 एस. सी. आर. 762*** ने माना है कि केवल क्योंकि दिए गए मामले के तथ्यों में पर्याप्त कारण बताया गया है, इसलिए अपीलकर्ता को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद-12 में इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"12. हालाँकि, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी एक पक्ष अधिकार के रूप में प्रश्न में देरी की माफी का हकदार नहीं है।खंड 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए पर्याप्त कारण का प्रमाण एक पूर्ववर्ती शर्त है।यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो आगे कुछ नहीं किया जाना चाहिए; देरी को माफ करने के लिए आवेदन को केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो अदालत को यह पूछना होगा कि क्या उसे अपने विवेक से देरी को माफ करना चाहिए।इस मामले का यह पहलू स्वाभाविक रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का परिचय देता है और यह इस स्तर पर है कि पक्ष की परिश्रम या उसकी ईमानदारी पर विचार किया जा सकता है; लेकिन पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से केवल ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होगा जिन्हें अदालत प्रासंगिक मान सकती है।यह इस जांच को उचित नहीं ठहरा सकता कि पार्टी अपने पास उपलब्ध सभी समय के दौरान बेकार क्यों बैठी रही।इस संबंध में हम यह इंगित कर सकते हैं कि जब न्यायालय सीमा अधिनियम की खंड 14 के तहत किए गए आवेदनों पर विचार कर रहा होता है तो ईमानदारी या उचित परिश्रम के विचार हमेशा सामग्री और प्रासंगिक होते हैं। इस तरह के आवेदनों से निपटने में अदालत को कहा जाता है। धारा 5 और 14 के संयुक्त प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करना।इसलिए, हमारी राय में, खंड 14 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से सामग्री और प्रासंगिक बनाए गए विचारों को उन आवेदनों से निपटने में उसी हद तक और उसी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है जो खंड 14 के संदर्भ के बिना केवल खंड 5 के तहत तय किए जाते हैं।वर्तमान मामले में यह अभिनिर्धारित करने में

कोई कठिनाई नहीं है कि विवेकाधिकार का उपयोग अपीलकर्ता के पक्ष में किया जाना चाहिए क्योंकि सीमा की अवधि के दौरान अपीलकर्ता की परिश्रम की कमी के खिलाफ की गई सामान्य आलोचना के अलावा इसके खिलाफ कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।वास्तव में, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, विद्वत न्यायिक आयुक्त ने विलंब की माफी के लिए अपीलार्थी के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर जल्द से जल्द अपील दायर करना अपीलार्थी का कर्तव्य था, और यह, हमारी राय में, एक वैध आधार नहीं है।"

28. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विलम्ब क्षमा आवेदन पर विचार करते समय, विधि न्यायालय को विलम्ब की क्षमा के लिए पर्याप्त कारण के साथ-साथ वादकारी के दृष्टिकोण पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह *प्रामाणिक* है या नहीं क्योंकि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक अधिकार अर्जित किया जाता है और इस प्रकार, वादकारी के *प्रामाणिक* उद्देश्य पर ध्यान देना आवश्यक है और साथ ही, उसकी ओर से निष्क्रियता और बाधाओं के कारण।

29. इसमें यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि 'पर्याप्त कारण' का अर्थ क्या है। 'पर्याप्त कारण' के अर्थ पर विचार **बसावराज और अन्य बनाम आर. स्प्ल. भूमि अधिग्रहण अधिकारी, [(2013) 14 एस. सी. सी. 81],** में बनाया गया था। जिसमें, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 9 से 15 में अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"9. पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अभाव के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "उचित" या "काफी" है, क्योंकि इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसलिए, "पर्याप्त" शब्द में उससे अधिक कुछ नहीं है जो एक तर्क प्रदान करता है, जो जब कार्य किया जाता है तो किसी मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, जिसकी विधिवत जांच एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से की जाती है।इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से

ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "लगन से काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए ताकि संबंधित अदालत इस कारण से विवेक का प्रयोग कर सके कि जब भी अदालत विवेक का प्रयोग करती है, तो इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक थी या केवल एक गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण थी। (देखें, मनिंद्र भूमि एवं भवन निगम लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1336], माता दिन बनाम ए. नारायणन [(1969) 2 एस. सी. सी. 770:ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1953], परिमल बनाम वीणा [(2011) 3 एस. सी. सी. 545:(2011) 2 एस. सी. सी. (सी.वी.) 1: ए. आई. आर. 2011 एस.सी.1150] और मनीबेन देवराज शाह बनाम नगर निगम। बृहन्मुंबई [(2012) 5 एस. सी. सी. 157: (2012) 3 एस.सी.सी. (सी.वी.) 24:ए. आई. आर. 2012 एस.सी. 1629])

10. अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार [ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 993] में इस न्यायालय ने "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच के अंतर को समझाया और कहा कि प्रत्येक "पर्याप्त कारण" एक अच्छा कारण है और इसके विपरीत। हालाँकि, यदि कोई अंतर मौजूद है तो यह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का पालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण मात्रा किया जाए।

11. "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्यायाधीश किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक लापरवाही, निष्क्रियता की कमी हो। संबंधित पक्ष पर ईमानदारी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या

नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई हथकड़ी सूत्र संभव नहीं है।(मदनलाल बनाम श्यामलाल [(2002) 1 एस. सी. सी. 535:ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 100] और रामनाथ साओ बनाम गोवर्धन साओ [(2002) 3 एस. सी. सी. 195:ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1201])

12. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब अधिनियम इस तरह से निर्धारित करता है तो इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए।न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।"किसी वैधानिक प्रावधान से निकलने वाला परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है।एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न होने वाले संकट को दूर करने के लिए मानता है।" वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन अदालत के पास इसे पूरी तरह से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।कानूनी उक्ति ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है।यह लगातार माना गया है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

13. सीमा अधिनियम सार्वजनिक नीति पर आधारित है, इसका उद्देश्य समुदाय में शांति सुनिश्चित करना, झूठी गवाही और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना है।यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो अस्पष्ट रूप से उत्तेजित नहीं हुए हैं और समय के साथ बासी हो गए हैं।हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के अनुसार, आयतन 28,पृष्ट 266:

"605. सीमा अधिनियमों की नीति।–अदालतों ने सीमाओं के कानूनों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात् (1) लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्यायाधीश की तुलना में क्रूरता अधिक होती है, (2) हो सकता है कि एक प्रतिवादी ने एक पुराने दावे को

गलत साबित करने के लिए सबूत खो दिया हो, और (3) कि कार्रवाई के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।"

एक असीमित सीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, लंबे समय तक आनंद लेने से समानता और न्यायाधीश में जो हासिल किया जा सकता है या जो किसी पक्ष की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही से खो गया हो सकता है, उसे परेशान करने या वंचित करने से रोकता है।(देखें पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम एस. बी. आई. कर्मचारी संगठन [(2005) 7 एस. सी. सी. 510], राजेंद्र सिंह बनाम सांता सिंह [(1973) 2 एस. सी. सी. 705:ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2537] और पुंडलिक जलम पाटिल बनाम जलगाँव मध्यम परियोजना [(2008) 17 एस. सी. सी. 448]

14. पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य [(2002) 4 एस. सी. सी. 578] मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को शामिल करना कानून बनाने के बराबर है और यह अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर. एस. नायक [(1992) 1 एस. सी. सी. 225] मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत होगा।

15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमा से परे प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जो उसे सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकता है।यदि कोई पक्ष लापरवाही करता हुआ पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से ईमानदारी का अभाव पाया जाता है, या परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो देरी को माफ करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है।किसी भी अदालत को किसी भी शर्त को लागू करके इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।आवेदन पर निर्णय केवल विलंब की माफी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर किया जाना है।यदि किसी वादकारी को बिना किसी औचित्य के समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने

का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त रखना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक आदेश पारित करने के बराबर है और यह विधायिका की पूरी तरह से अवहेलना करने के समान है।"

30. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण का अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से कार्य नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी। यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "जानबूझकर काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रही"।हालाँकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को इस कारण से संबंधित न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए कि जब भी न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, तो इसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक कि एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या गलती प्रामाणिक है या केवल गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण थी जैसा कि कहा गया है **मनिंद्र भूमि एवं भवन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1336, लाला मातादीन बनाम ए. नारायणन, (1969) 2 एस. सी. सी. 770, परिमल बनाम वीणा @भारती, (2011) 3 एस. सी. सी. 545 और मनीबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससीसी 157 में ।**

31. उपरोक्त निर्णयों में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्यायाधीश किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई हथकड़ी सूत्र संभव नहीं है, इस संबंध में न्यायाधीशालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। **राम नाथ साव @राम नाथ साहू एवं अन्य बनाम आर. गोवर्धन**

साओ एवं अन्य (2002) 3 एस. सी. सी. 195 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें, अनुच्छेद-12 में,

इसे इस प्रकार रखा गया हैः-

"12. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिव्यक्ति "पर्याप्त 12" अधिनियम की खंड 5 या संहिता के आदेश 22 नियम 9 या किसी अन्य समान प्रावधान के अर्थ के भीतर एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए ताकि पर्याप्त न्यायाधीश को आगे बढ़ाया जा सके जब किसी पक्ष के लिए कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी नहीं है।किसी विशेष मामले में प्रस्तुत स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" का गठन करेगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।कदम उठाने में हुई देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई हथकड़ी सूत्र नहीं हो सकता है।लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अदालतों को दिखाए गए कारण में गलती खोजने की प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और निपटान अभियान के अति-समन्वय में एक गलत आदेश द्वारा याचिका को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम और इनकार होना चाहिए, एक अपवाद, विशेष रूप से तब जब चूक करने वाले पक्ष पर कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।दूसरी ओर, मामले पर विचार करते समय अदालतों को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाने से दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ है जिसे नियमित रूप से देरी को माफ करके हल्के में पराजित नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, मामले के बारे में एक पांडित्यपूर्ण और अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से दिए गए स्पष्टीकरण को तब खारिज नहीं किया जाना चाहिए जब मामले में दांव अधिक हों और/या तथ्यों और कानून के बहस योग्य बिंदु शामिल हों, जिससे उस पक्ष को भारी नुकसान और अपूरणीय क्षति हो, जिसके खिलाफ डिफ़ॉल्ट रूप से या निष्क्रियता से समाप्त हो जाता है और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए ऐसे पक्ष के मूल्यवान अधिकार को विफल कर देता है।मामले पर विचार करते समय,

अदालतों को उस आदेश के परिणामी प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा जो यह दोनों पक्षों को किसी भी तरह से पारित करने जा रहा है।"

32. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से यह स्पष्ट है, जिसमें 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति से निपटा गया है, जिसका अर्थ है कि पक्ष को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से ईमानदारी की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्ष ने "जानबूझकर काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहे"

33. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि विशेष रूप से **बसावराज और अन्य बनाम वोलोस जमीन अधिग्रहण अधिकारी, (ऊपर),** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय द्वारा पर्याप्त कारण की व्याख्या की गई है, जैसा कि ऊपर उद्धृत और संदर्भित किया गया है और उपरोक्त के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय द्वारा यह व्याख्या की गई है कि यदि पर्याप्त कारण उपलब्ध है, तो न्यायाधीश के उद्देश्य से देरी को माफ किया जाना चाहिए।

34. कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और विलंब की माफी के आधारों और उपरोक्त उद्देश्य के लिए, विलंब को माफ करने के लिए प्रार्थना की गई है जैसा कि विविध में है। 2022 का एम. ए. संख्या.723 होने के नाते आवेदन, जिसे सी. ए. टी. प्रक्रिया नियम 1987 के नियम 8 (4) के साथ पठित खंड 21 के तहत विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया है, को नीचे संदर्भित करने की आवश्यकता हैः-

"कि तत्काल एम. ए. आवेदक द्वारा मूल आवेदन (ओ. ए.) को प्राथमिकता देने में 2521 दिनों की देरी को माफ करने के लिए दायर किया जा रहा है, दिनांकित समाप्ति आदेश के खिलाफ 04.12.2014 ज्ञापन संख्या।सामाजिक सेवा उप-मंडल निरीक्षक, जामतारा द्वारा जारी ए-1/पंजमिया-बी. ओ./2011"

35. इस न्यायालय को अब इस बात पर विचार करना है कि क्या विलंब माफी आवेदन में रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिखाए गए आधार को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण कहा जा सकता है।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित पर्याप्त कारण को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत, पर्याप्त कारण को एक ऐसा कारण कहा जाएगा जो उस कारण से संबंधित है जो संबंधित वादकारी के नियंत्रण से बाहर है, साथ ही संबंधित वादकारी की प्रामाणिकता को भी देखा जाना चाहिए कि संबंधित वादकारी उचित समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामले को आगे बढ़ाने में कितना सतर्क है।

37. ऐसी धारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि वादकारी घृणा करता है और वह उचित समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अपने अधिकार के बारे में सतर्क नहीं है, तो यदि कोई बहाना लिया गया है जिसे पर्याप्त आधार कहा गया है, तो उसे पर्याप्त आधार नहीं कहा जा सकता है।

38. यहाँ, यह तथ्यात्मक पहलू से स्पष्ट है कि जन्म तिथि में कुछ दुर्बलता है जैसा कि जे. ए. सी. द्वारा जारी प्रमाण पत्र में है, जिसमें जन्म तिथि 03.10.1972 के बजाय इसे '03.10.1990' के रूप में संदर्भित किया गया है।

39. याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया और 04.12.2014 पर दूसरी बार समाप्त कर दिया गया।इसके बाद याचिकाकर्ता ने जन्म तिथि में सुधार के लिए जे. ए. सी. के समक्ष तीन अभ्यावेदन दिए हैं।

40. जे. ए. सी., भले ही, वैधानिक निर्माण जब कोई निर्णय नहीं होता है तो रिट याचिकाकर्ता के पास 2019 का डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या.5665 होने के नाते रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

41. उक्त रिट याचिका लंबित थी और विचाराधीनता के दौरान, जे. ए. सी. ने अपने दम पर इस तथ्य के बारे में एक शपथ पत्र के माध्यम से ध्यान दिलाया है कि रिट याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में आवश्यक सुधार किया गया है।

42. याचिकाकर्ता ने यह भी आधार बनाया है कि झारखंड विद्या परिषद् से सही प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, उनकी बहाली के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के समक्ष तीन अभ्यावेदन दायर किए गए हैं।

43. अभ्यावेदन में से एक संबंधित प्रतिवादी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।लेकिन, याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में किसी भी तरह से कोई निर्णय

नहीं लिया गया है और मूल आवेदन 2022 के ओ. ए. संख्या 852 के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की खंड 21 के तहत दायर देरी माफी आवेदन के साथ दायर किया गया था, जिसे कैट प्रक्रिया नियम, 1987 के नियम 8 (4) के साथ पढ़ा गया था।

44. यहाँ इस प्रश्न पर विचार किया जाना आवश्यक है किः

> *"क्या इन आधारों को पर्याप्त कारण कहा जा सकता है या पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता है।*

45. दूसरा आधार यह लिया गया है कि जब तक प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तब तक कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था।

46. इसमें 2020 की अपने स्वयं के प्रस्ताव पर याचिका (सिविल) संख्या 3 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी पर विचार करते हुए सामान्य रूप से पारित किया है।15.03.2020 से 14.03.2021 तक की अवधि को माफ करने के आदेश को सीमा की अवधि की गिनती के उद्देश्य से नहीं माना जाता है, उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को नीचे संदर्भित किया जा रहा हैः-

> *"1. कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण, इस न्यायालय ने सीमा के सामान्य कानून के तहत या किसी विशेष कानून (केंद्र या राज्य दोनों) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों/अन्य सभी कार्यवाहियों को दायर अपने स्वयं के प्रस्ताव में वादियों को होने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया।दिनांक 23.03.2020 के एक आदेश द्वारा इस न्यायालय ने सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा की अवधि को 15.03.2020 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया।23.03.2020 दिनांकित आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया था।हालाँकि, हमने महामारी का अंत नहीं देखा है, लेकिन इसमें काफी सुधार हुआ है।लॉकडाउन हटा लिया गया है और देश सामान्य स्थिति में लौट रहा है।लगभग सभी न्यायालय और न्यायालय या तो भौतिक रूप से या आभासी तरीके से काम कर*

रहे हैं।हमारी राय है कि 23.03.2020 दिनांकित आदेश ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और महामारी से संबंधित बदलते परिदृश्य को देखते हुए, सीमा का विस्तार समाप्त हो जाना चाहिए।

2. हमने भविष्य की कार्रवाई के संबंध में भारत के विद्वान महान्यायवादी के सुझावों पर विचार किया है।हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं-

1. किसी भी मुकदमे, अपील, आवेदन या कार्यवाही के मुकदमा सीमा की अवधि की गणना करने में, 15.03.2020 से 14.03.2021 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा।नतीजतन, 15.03.2020 पर शेष सीमा अवधि, यदि कोई हो, 15.03.2021 से उपलब्ध हो जाएगी।

2. ऐसे मामलों में जहां सीमा 15.03.2020 से 14.03.2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो गई होगी, सीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद, सभी व्यक्तियों की सीमा अवधि 16 से 90 दिनों की होगी। यदि सीमा की वास्तविक शेष अवधि, 15.03.2021 से प्रभावी, 90 दिनों से अधिक है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी।

3. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की खंड 23 (4) और 29ए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की खंड 12ए और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की खंड 138 के प्रावधान (बी) और (सी) और किसी भी अन्य कानून के तहत निर्धारित अवधि की गणना करने में भी 15.03.20 से 14.03.21 तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा, जो कार्यवाही, बाहरी सीमा (जिसके भीतर अदालत या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है) और कार्यवाही की समाप्ति के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है।

4. भारत सरकार कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन करेगी।

"चिकित्सा आपात स्थितियों, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान और अन्य आवश्यक कार्यों जैसे कि कानूनी उद्देश्यों सहित समयबद्ध

आवेदनों और शैक्षिक और नौकरी से संबंधित आवश्यकताओं के लिए विनियमित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।"

47. इस न्यायालय को, उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता और औचित्य पर विचार करना है कि कैसे उक्त कारण को देरी को माफ करने के लिए आश्वस्त और ठोस नहीं कहा जा सकता है, **बसंती प्रसाद बनाम अध्यक्ष, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड एवं अन्य** (2009) 6 एस. सी. सी. 791 में प्रतिवेदित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का यहां संदर्भ दिया जाना आवश्यक है।जिसमें उक्त मामले का तथ्यात्मक पहलू यह था कि उक्त मामले के अपीलार्थी के पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के एकमात्र आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

48. उपरोक्त मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी का पति स्कूल में सहायक था और कई उम्मीदवारों की अंक-पत्रक के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, अपीलार्थी के पति पर आरोप पत्र दायर किया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि का निर्णय को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई।जबकि अपीलें विचार के लिए लंबित थीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने के आधार पर अपने दिनांक 04-08-19921 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के पति की सेवाओं को समाप्त कर दिया।

49. इसके बाद, अपीलार्थी के पति की मृत्यु सत्र न्यायालय, पटना के समक्ष अपील विचाराधीनता रहने के दौरान हो गई।अदालत की अनुमति से, पत्नी (अपीलार्थी) ने दाण्डिक अपीलीय पर मुकदमा चलाना जारी रखा था।पटना के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलों को स्वीकार कर लिया है और इस तरह अपीलार्थी के पति और अन्य को बरी कर दिया है।

50. दाण्डिक अपीलीय के निपटारे के बाद, अपीलकर्ता ने अभ्यावेदन दायर करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संपर्क किया था, जिस अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि चूंकि उसके पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ दायर दाण्डिक अपीलीय अन्य बातों के साथ साथ सत्र न्यायालय द्वारा सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया गया है, इसलिए अपीलकर्ता के पति

को सेवा से सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा अन्य बातों के साथ साथ माना जाता है और इसलिए, वह अपने दिवंगत पति के सभी सेवानिवृत्ति लाभों की हकदार है।

51. चूंकि अपीलकर्ता के अभ्यावेदन बोर्ड (समिति) द्वारा खारिज कर दिए गए थे, इसलिए अपीलकर्ता को 2005 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 14536 अन्य बातों के साथ साथ पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए विवश किया गया था, जिस अन्य बातों के साथ साथ अपने दिवंगत पति को देय सभी मौद्रिक और सेवा लाभों का निपटान करने के लिए बिहार स्कूल परीक्षा परमादेश अनिवार्य रूप से एक रिट की मांग की गई थी।रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने 2007 का आइ ए सं. 1256 दायर किया था, जिस अन्य बातों के साथ साथ अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह बोर्ड (समिति) द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई प्रकृति अन्य बातों के साथ साथ एक रिट जारी करे, जिसअन्य बातों के साथ साथ अपीलकर्ता के पति की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त किया गया था कि उन्हें एक आपराधिक मामले अन्य बातों के साथ साथ दोषी ठहराया गया है।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि चूंकि अपीलकर्ता के पति ने जीवित रहते हुए समाप्ति के आदेश पर सवाल नहीं उठाया था और इस विलंबित चरण में अपीलकर्ता को बोर्ड (समिति) द्वारा पारित सेवाओं की समाप्ति के आदेश पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

52. इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा दायर लेटर पेटेंट अपील को उच्च न्यायालय ने 12.07.2007 पर इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के पति ने बोर्ड (समिति) द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश पर सवाल नहीं उठाया था, जब वह जीवित था।उसी को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि बर्खास्तगी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को देखते हुए थी, जब तक कि उस आदेश को किसी वरिष्ठ मंच द्वारा दरकिनार नहीं किया जाता है, तब तक अपीलकर्ता का पति या अपीलकर्ता उस पर तब तक सवाल नहीं उठा सकता था जब तक कि उसे सत्र न्यायालय द्वारा बरी नहीं कर दिया जाता। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 में दायर एक याचिका में 4-8-1992 पर पारित समाप्ति के आदेश पर सवाल उठाने में मुख्य रूप से

विलंब के आधार पर अपीलकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करना उचित नहीं था।इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता की ओर से ऐसी कोई लापरवाही या अवधि का पार हो जाना या मौन सहमति नहीं है।

53. इसमें भी मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने जे. ए. सी. के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त कारण दिखाने की कोशिश की है और जब उसकी शिकायत पूरी नहीं हुई तो उसने 2019 की डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या.5665 के रूप में रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

54. जब रिट याचिका लंबित थी, जे. ए. सी. ने इस तथ्य को महसूस करने के बाद कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत के अनुसार आवश्यक सुधार किया जाना है, जो रिट याचिका का विषय था, प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को ठीक किया है और एक नया प्रमाण पत्र जारी किया है।

55. इसके बाद रिट याचिकाकर्ता को इस आधार पर वापस ले लिया गया कि शिकायत जो रिट याचिका का विषय था, अब निर्णय की आवश्यकता नहीं है।जे. ए. सी. द्वारा अक्टूबर, 2020 के महीने में सही प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

56. इसके अलावा, जब तक जे. ए. सी. द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तब तक लॉकडाउन लगा दिया गया था, जैसा कि ऊपर उद्धृत और संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए, उक्त अवधि को सीमा के मुद्दे पर विचार करने के उद्देश्य से माफ किया जाना था।

57. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा ईमानदार प्रयास लेने के संबंध में विलंब माफी आवेदन में कारण दिखाया गया है। सक्षम प्राधिकारी यानी जे. ए. सी. से आवश्यक सुधार की मांग के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। प्रमाण पत्र जे. ए. सी. द्वारा देर से जारी किया गया था, जब रिट याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2019 की डब्ल्यू. पी. (एस) 5665 होने के कारण रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, जो सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, जल्दी निपटान के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी।हालाँकि, जे. ए. सी. ने बिना किसी निर्णय के, प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को

नया जारी करके ठीक कर दिया है, जो रिट याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था।जब तक प्रमाण पत्र जारी किया गया, तब तक कोविड-19 महामारी फैल चुकी थी।

58. उपरोक्त कारण पर विचार करते हुए इस न्यायालय का विचार है कि उक्त आधार को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।लेकिन, विद्वत न्यायाधिकरण, उपरोक्त आधार पर विचार करने के बजाय, अवधि में गया है, लेकिन कारण निर्दिष्ट करके नहीं गया है, यानी दिखाया गया कारण पर्याप्त नहीं है।

59. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, (1997) 3 एस. सी. सी. 261** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। सूचित, तैयार के लिए उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को यहाँ संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो यहाँ नीचे पढ़ा गया हैः-

> *"99. हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 323-ए का खंड 2 (डी) और अनुच्छेद 323-बी का खंड 3 (डी), इस हद तक कि वे संविधान के अनुच्छेद 1 और 32 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाहर करते हैं, असंवैधानिक हैं। अधिनियम की खंड 28 और अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी विधानों में "अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण" खंड, उसी हद तक असंवैधानिक होंगे।अनुच्छेद 1 के तहत उच्च न्यायालयों और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र हमारे संविधान की अलंघनीय मूल संरचना का एक हिस्सा है।जबकि इस अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है, अन्य अदालतें और न्यायालय प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 और अनुच्छेद 323-ए और अनुच्छेद 323-बी के तहत बनाए गए न्यायालयों के पास वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है।हालाँकि, इन न्यायालयों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायालय आता*

है।फिर भी, न्यायालय कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में पहली बार अदालतों की तरह कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है।इसलिए, वादियों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे सीधे उच्च न्यायालयों से संपर्क करें, उन मामलों में भी जहां वे संबंधित न्यायाधिकरण की अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करके वैधानिक विधानों (विशेष न्यायाधिकरण बनाने वाले विधान को चुनौती देने वाले कानूनों को छोड़कर) की शक्तियों पर सवाल उठाते हैं।अधिनियम की खंड 5 (6) वैध और संवैधानिक है और इसकी व्याख्या हमारे द्वारा बताए गए तरीके से की जानी चाहिए।"

60. कानून अच्छी तरह से तय है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाना है यदि इस तरह से हमला किए गए आदेश के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि है जो वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन से ग्रस्त है, इस संबंध में माननीय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग और अन्य बनाम अब्दुल हलीम और अन्य, (2019) 18 एस. सी. सी. 39 में अभिलेख के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-30 में इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> "30. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह देखना है कि क्या विवादित निर्णय कानून की स्पष्ट त्रुटि से दूषित है।यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या किसी निर्णय को अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि से दूषित किया जाता है, यह है कि क्या त्रुटि अभिलेख के सामने स्वयं स्पष्ट है या क्या त्रुटि को स्थापित करने के लिए परीक्षा या तर्क की आवश्यकता है।यदि किसी त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है, उन बिंदुओं पर जहां उचित रूप से दो राय हो सकती हैं, तो इसे अभिलेख के सामने त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन ने ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 137 के अभिलेख मे कहा यदि एक सांविधिक नियम का प्रावधान दो या दो से अधिक निर्माणों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है और एक निर्माण को अपनाया गया है, तो निर्णय रिट कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं होगा।यह केवल एक प्रासंगिक वैधानिक

प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या है, या अज्ञानता या उसकी अवहेलना, या उन कारणों पर आधारित निर्णय है जो कानून में स्पष्ट रूप से गलत हैं, जिन्हें रिट कोर्ट द्वारा सरशियोरेराई की रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है।"

61. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल उस मामले में किया जाना है जहां स्पष्ट त्रुटि है या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि है, इस संबंध में **टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा, (1955) 1 एस. सी. आर. 250** में अभिलेख किया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। जिसमें, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः-

"निर्णय या निर्धारण में एक त्रुटि स्वयं भी सरशियोरेराई के एक रिट के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यह कार्यवाही के सामने एक स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए, उदाहरण के लिए जब यह स्पष्ट अज्ञानता या कानून के प्रावधानों की अवहेलना पर आधारित हो।दूसरे शब्दों में, यह एक पेटेंट त्रुटि है जिसे सरशियोरेराई द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन केवल गलत निर्णय नहीं है।"

62. इस न्यायालय का विचार यहाँ ऊपर की गई चर्चा के अनुसार है कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ विद्वत न्यायाधिकरण ने पर्याप्त कारण के मुद्दे पर विचार नहीं किया है और केवल इस कारण पर आकर कि जो कारण दिखाया गया है वह देरी को माफ करने के लिए आश्वस्त और ठोस नहीं है क्योंकि देरी दिन या महीने की नहीं है, बल्कि लगभग 8 साल की है।

63. विद्वत न्यायाधिकरण को देरी के कारण पर विचार करना चाहिए था न कि देरी की अवधि पर।यदि देरी का कारण पर्याप्त रूप से समझाया गया है तो देरी की अवधि चाहे जो भी हो, उसे माफ कर दिया जाना चाहिए।

64. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

65. तदनुसार, ओ. ए. संख्या.051/000852/2018 में पारित दिनांकित 17.11.2022 के आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

66. इसके परिणामस्वरूप, तत्काल रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

67. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

68. कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष भेजा जाता है।

69. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ऊपर की गई कोई भी टिप्पणी, पक्षों के मामले को प्रभावित नहीं करेगी और विद्वत न्यायाधिकरण को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, *न्याया०*)

(अरुण कुमार राय, *न्याया०*)

रोहित/- **ए. एफ. आर**.

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।